

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या
- 2341 सन् 2026

चाँद खानआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा एक अन्य विपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्ता	:	अजाज अहमद
विपक्षीगण के अधिवक्ता	:	जी.ए.

न्यायालय संख्या - 72

माननीय जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अजाज अहमद तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री ओ.पी. सिंह को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
- वर्तमान आवेदन, अभियोग संख्या 477 सन् 2025, धारा 61(2), 87, 137(2) बी.एन.एस., थाना - रोरावर, जनपद अलीगढ़ के अंतर्गत, इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि गिरफ्तारी की दशा में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों का समर्थन नहीं किया है और उसने धारा 180 तथा 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत अभिलिखित अपने बयान में कहा है कि वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से स्वयं घर छोड़कर गई थी। यह भी निवेदन किया गया कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और अन्वेषण अभिकरण अथवा न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित किया जाएगा, वह उपस्थित होगा। यह कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, अन्वेषण में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।
- दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, कहा गया है कि आवेदक ने प्रथम सूचनाकर्ता की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया, तथापि पीड़िता बरामद कर ली गई है और पीड़िता ने धारा 180 तथा 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत अभिलिखित अपने बयान में कहा है कि वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से स्वयं घर छोड़कर गई थी।
- यह उल्लेखनीय है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा महत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एस.सी.सी. 694 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत पर विचार करते समय न्यायालय को अभियोग की प्रकृति एवं गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से पलायन की संभावना पर विचार करना चाहिए तथा न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध



उपलब्ध समस्त सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

7. वर्तमान प्रकरण में, अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदन, आवेदक की भूमिका तथा प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. आवेदक- चाँद खान की गिरफ्तारी की दशा में, उपर्युक्त अभियोग में उसे रु. 50,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभुओं पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा :-

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न्यायालय द्वारा छूट दिए जाने के अतिरिक्त, नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित है, को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों का न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए;

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का उल्लंघन होने पर अभियोजन पक्ष को आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने हेतु उपर्युक्त प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, जे.)

19 मार्च, 2026

वीरेन्द्र

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"